order sheet

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
20/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् पुकार। बाबते जवाब हेतु पुनः अवसर चाहने पर मिसल ता० दिनांक 26.11.21 को पेश हो। ए.सी.ई.एम. (का.से.) नवलगढ़	
26/11/21 (1/11/21)	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत पहाडिला में पेश हुई। मौके पर तहसीलदार नवलगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त कि गई। जिसके अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित होना प्रतीत होता है। **आदेश / निर्णय** वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र के अनुतोष मद सं. क व ख स्वीकार कि जाती है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेश के अनुसार में अमल दरामद हेतु लिखा जावे। वाद पत्र निर्णय का भाग होगा। वादपत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर डिक्री पृथक से जारी की जाती है। उक्त आदेश / निर्णय [illegible] पहाडिला में सुनाया [illegible] शुमार से नक्शे से [illegible] हो बाद तमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

3

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत घोषणात्मक व इन्द्राज करने

मुकदमा सं0:– 139/2020 (सीताराम ....वगै0 बनाम तहसीलदार नवलगढ

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 26/11/2021 निर्णयानुसार राजस्व ग्राम मुकदमा नं. 139/2020 उनवानी सीताराम बनाम तहसीलदार मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष क व ख स्वीकार किया जाता है, वाद पत्र निर्णय का भाग है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन............–............... मुबलिग............–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 26.....माह 11 सन .2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 2 रु. Rs.2 दो रुपये TWO RUPEES

5

2/11
318

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

गिगराज पुत्र सुरजाराम जाति माली उम्र 44 वर्ष निवासी शाह वाली ढ़ाणी, किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

——— वादी

बनाम

भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं

—— प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

महोदय,

वाद वादी की ओर से निम्नलिखित अनुसार श्रीमान् जी की सेवामें पेश है :—

1. यह कि वाके ग्राम किरोड़ी पटवार हल्का टोडपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज0) की सरहद मे आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.68 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी मे वादी का 1/42 है।
2. यह कि उक्त आराजी मे वादी का हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है । वादी का सही व वास्तविक नाम गिगराज पुत्र सुरजाराम है। जो वादी के शिक्षा सम्बन्धी दस्तावेज व अन्य पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात मे दर्ज है । वादी के पिता करीब 30 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो हुआ था उस वक्त वादी की उम्र करीब 12 वर्ष थी । उपरोक्त आराजी पूर्व मे वादी के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी । वादी के पिता के फौत

——— लगातार 2

गिगराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

6

होने पर विरासरत का नामान्तकरण वादी एवं वादी के भाई पोकरमल, प्रभुदयाल, मदनलाल, सागरमल, धुड़ाराम तथा वादी की माता मनभरी के नाम से भरा गया। परन्तु राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने लापरवाहीपूर्वक वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम गिरधारी पुत्र सुरजा गलत दर्ज कर दिया । स्व. सुरजाराम के 6 पुत्र वादी व पोकरमल, प्रभुदयाल, मदनलाल, सागरमल, धुड़ाराम हुये। स्व. सुरजाराम के गिरधारी नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ है। गिरधारी व गिगराज दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी ही है ।

3. यह कि राजस्व अभिलेख मे वादी का गलत नाम राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो की लापरवाही के कारण वादी के नाम का सही सत्यापन नही करने के कारण दर्ज हुआ है । राजस्व अभिलेख मे वादी का नाम गिरधारी दर्ज होने से वादी को अनेक परेशानियो का सामना करना पड़ता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता है । इसलिए गिरधारी पुत्र सुरजा के स्थान पर वादी गिगराज पुत्र सुरजाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसके लिए उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामे पेश है।

4. यह कि वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी पूर्व मे नही थी । वादी ने दिनांक 14.08.2020 को हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात वादी की ओर से उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है ।

5. यह कि उक्त वाद के लिए वाद कारण दिनांक 14.06.2020 को वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के [illegible] अदालत हाजा का क्षेत्राधिकार मे पैदा हुआ है ।

6. यह कि वाद की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार मे स्थित है । इसलिए अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का पूरा – पूरा क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

—— लगातार 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:24 IST
Reason: Self Attested

गिगराज

7. यह कि उक्त वाद 2/– रूपये कोर्ट फीस पर पेश है ।

8. अतः वाद पेशकर निवेदन है कि :–

(क) वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि ग्राम किरोड़ी पटवार हल्का टोडपुरा तहसील उदयपुरवाटी ज़िला झुन्झुनूं (राज0) की सरहद मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 638 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 639 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 641 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 643 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.27 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 2.68 हैक्टर मे गिरधारी पुत्र सुरजा के स्थान पर वादी गिगराज पुत्र सुरजाराम खातेदार काश्तकार है ।

(ख) यह कि उपरोक्त अनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे ।

(ग) यह कि अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है और वादी के पक्ष मे पडती है वह भी दिलवायी जावे।

दिनांक : 21.08.2020

स्थानः नवलगढ़

गिगराज

वादी / प्राथी।

गिगराज पुत्र सुरजाराम जाति माली उम्र 44 वर्ष

निवासी शाह वाली ढ़ाणी, किरोड़ी तहसील

नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

<u>सत्यापन</u>

मैं, गिगराज पुत्र सुरजाराम जाति माली उम्र 44 वर्ष निवासी शाह वाली ढ़ाणी, किरोड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0) [illegible] सत्यापित करता हूँ कि वाद पत्र की मद संख्या 1 से अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी में सही व सत्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:03:24 IST
Reason: SelfAttested

गिगराज